02 **अभियोजन साक्षी**

04.07.2018 **17 वर्ष**

शपथ पूर्वक **हीरा नाग**

योगेश्वर नाग **पढ़ाई**

आदर्श नगर, थाना न्यू राजेन्द्र नगर, रायपुर (छ.ग.)

मुख्यपरीक्षण द्वारा श्री जे.एम.राजिमवाले अपर लोक अभियोजक वास्ते अभियोजन

01. मै न्यायालय में उपस्थित आरोपी को पहचानता हूं।

02. आज से करीब 4–5 माह पहले मै अपने दोस्त विकास और दिनेश के साथ संतोषी नगर के तरफ ओवरब्रीज से जा रहे थे। उसी समय आरोपी ब्रीज पर सोया हुआ था। हमलोगों को आरोपी मां–बहन की अश्लील गालियां देते हुए रोका तब मेरे दोस्त विकास ने आरोपी से कहा कि गाली मत दो तब आरोपी और विकास के मध्य हाथापाई हुई। उसके बाद आरोपी ने अपने पास रखे चाकू से विकास को पेट में, बायें छाती के नीचे और कमर में मारकर चोंट पहूंचाया फिर आरोपी वहां से भाग गया। विकास बेहोश हो गया था तब मै उसे उठाकर उसके घर ले गया, उसके बाद उसे ईलाज के लिए अस्पताल ले गये।

03. घटना की रिपोर्ट मेरे द्वारा थाना टिकरापारा में किया था। प्रथम सूचना पत्र प्रपी–3 है। जिसके अ से अ भाग पर मेरा हस्ताक्षर है। पुलिस वाले घटना स्थल का नजरी नक्शा मेरी उपस्थिति में बनाया था। जो प्रपी–4 है, जिसके अ से अ भाग पर मेरा हस्ताक्षर है।

04. पुलिस ने पुछताछ कर मेरा कथन लिखा था।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्रीमती प्रतिभा राठौर पैनल अधिवक्ता वास्ते आरोपी

05. मै घटना के समय थोड़ी दूर मे था। मै आहत विकास को जानता हूं, वह मेरे घर के पास रहता है। घटना के समय मै विकास से आधा–एक किलोमीटर दूर था। घटना लगभग रात 8 बजे की है। यह कहना सहीं है कि घटना स्थल पर भीड़ भाड़ रहती है। यह कहना सहीं है कि घटना के समय चूंकि मै दूर था इसलिए मैने मारते हुए नहीं देखा था और शोर सराबा सुनकर वहां पहूंचा था। यह कहना गलत है कि पुलिस ने मुझसे बयान नहीं लिया था।

06. यह कहना सहीं है कि प्रडी–1 के अ से अ भाग ''वाई फाई ..... बकने लगा'' का बयान पुलिस को नहीं बताया था। पुलिस ने कैसे लिखा मै नहीं बता सकता। यह कहना भी सहीं है कि प्रडी–1 के ब से ब भाग ''मेरा नाम ..... बोलते हुए'' का बयान मैने पुलिस को नहीं दिया था। पुलिस ने कैसे लिखा मै नहीं बता सकता। यह कहना गलत है कि प्रडी–1 के स से स भाग का कथन मैने पुलिस को नहीं दिया था। स्वतः कहा कि

दिनेश ताण्डी के बताने पर स से स भाग का बयान दिया था।

07. यह कहना सहीं है कि मै आरोपी को घटना के पूर्व से नहीं जानता था। यह कहना सहीं है कि मैने प्रथम सूचना पत्र को पढ़ा नहीं था। यह कहना सहीं है कि मैने प्रथम सूचना पत्र पर मात्र अपना हस्ताक्षर किया था। यह कहना गलत है कि नजरी नक्शा प्रपी–4 पुलिस ने मेरे सामने नहीं बनाया था।

समय – 12:05 से 12:30 तक

साक्षी को पढ़कर सुनाया गया,
सही होना स्वीकार किया।

सही/–

राजेन्द्र कुमार वर्मा
अष्टम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश
रायपुर (छ0ग0)

मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।

सही/–

राजेन्द्र कुमार वर्मा
अष्टम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश
रायपुर (छ0ग0)

साक्षी का हस्ताक्षर .....